FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना रसूलपुर दिनांक 09-12-2025 जनपद फिरोजाबाद।

थाना रसूलपुर फिरोजाबाद पुलिस टीम व एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा द्वारा (संयुक्त रूप से) मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बडी कार्यवाही करते हुए तस्करों की 01 करोड 60 लाख की चल सम्पत्ति (05 ट्रक व एक बुलेरों गाडी) को धारा 68 ई/एफ के अन्तर्गत फ्रीज करने की कार्यवाही की गयी है।

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में दिनांक 01-08-2025 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम द्वारा टाटा ट्रक में छुपाकर ले जाए जा रहे 120 किलोग्राम अफीम डोडा पोस्त (मादक पदार्थ) सहित दो शातिर तस्करों को किया गया था गिरफ्तार...............**
- **कार्यवाही के दौरान शातिर मादक तस्कर मुसलम खान निवासी ग्राम डाडका थाना होडल जिला पलवल हरियाणा सहित दो अभियुक्तों को आसफाबाद चौराहे से गिरफ्तार किया गया था जो बिहार से हरियाणा मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं...........**
- **थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 354/2025 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट में थाना रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से सफीमा कोर्ट नई दिल्ली को भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर मुसलम खान व असलम खान पुत्रगण अब्दुल हई निवासी ग्राम डाडका थाना होडल जिला पलवल हरियाणा की 01 करोड़ 60 लाख रूपये की (05 ट्रक व एक बुलेरो गाडी) चल सम्पत्ती को फ्रीज करने की कार्यवाही की गयी है।**
- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है............**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम द्वारा दिनांक 01-08-2025 को ट्रक में छुपाकर ले जाए जा रहे 120 किलोग्राम अफीम डोडा पोस्ट (मादक पदार्थ) सहित दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रसूलपुर पर मु0अ0स0 354/2025 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। उक्त कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09-12-2025 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम व एएनटीएफ टीम द्वारा कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर मुसलम खान व असलम खान पुत्रगण अब्दुल हई निवासी ग्राम डाडका थाना होडल जिला पलवल हरियाणा द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित चल-अचल सम्पत्तियों को चिन्हित कराकर काम्पीटैंट अथारिटी एण्ड एडमिनिस्ट्रेटर सफीमा (एफओपी) एक्ट एण्ड एनडीपीएस एक्ट दिल्ली से प्रभावी पैरवी कराकर 01 करोड 60 लाख की सम्पत्तियों (जिसमें 05 ट्रक व एक बुलेरो गाडी) को धारा 68 ई/एफ के अन्तर्गत फ्रीज कराया गया।

<u>फ्रीज कराई गई सम्पत्तियों का विवरणः-</u>

1. टाटा ट्रक नम्बर आर जे 14 जीएल 2665

2. टाटा ट्रक नम्बर आर जे 11 जीडी 2657

3. टाटा ट्रक नम्बर आर जे 11 जीडी 2655

4. टाटा ट्रक नम्बर आर जे 11 जीबी 4590

5. टाटा ट्रक नम्बर आर जे 11 जीडी 3821

6. महेन्द्रा बोलेरो नम्बर एचआर 50 के 6348

<u>फ्रीज कराई गई सम्पत्तियों का मूल्य-</u>

01 करोड 60 लाख 74 हजार 966 रूपये (मु0अ0स0 354/2025 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ।)

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. श्री उमेश पवार पुलिस उपाधीक्षक आपरेशनल यूनिट आगरा जोन आगरा।

2. श्री हरवेन्द्र मिश्रा प्रभारी निरीक्षक आपरेशनल यूनिट आगरा जोन आगरा।

3. श्री गौरव शर्मा उपनिरीक्षक आपरेशनल यूनिट आगरा जोन आगरा।

4.उ0नि0 विमल कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

5.उ0नि0 हाकिम सिंह थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।